

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3431/2025

1.

Smt Sapna W/o Late Neeraj Kumar, Aged About 30 Years,
2.

Jeevan S/o Late Neeraj Kumar, Aged About 10 Years,
3.

Sonu S/o Late Neeraj Kumar, Aged About 9 Years,
4.

Jairam S/o Gangaram, Aged About 57 Years,
5.

Premwati W/o Jairam, Aged About 55 Years,
- Appellants-Claimants No. 2 & 3 are minor through their natural guardian/mother herself Sapna.
- All R/o Village Sadan Ka Baas, Tehsil Ramgarh, District Alwar, Raj.

----Appellants-Claimants

Versus

1.

Mahendra Singh S/o Hari Singh, Aged About 49 Years, R/o Chomu, Police Station Malakheda, District Alwar, Raj. Driver Vehicle Tanker No. RJ-02-GB-4165
2.

Satish Kumar S/o Bholram, Aged About 49 Years, R/o Beejwad Chauhan, Police Station Sahajpur, District Alwar, Raj.
(Owner Vehicle Tankar No. RJ-02-GB-4165).
3.

Messers Ganpati Chemical Company, Plot No. 140, Ricco Industrial Area, Shahjahapur Tehsil Behror, District Alwar. Through Owner
(Insured Vehicle Tankar No. RJ-02-GB-4156).
4.

The Oriental Insurance Company Limited, 81 Balaji Tower, Subhash Nagar, Alwar, (Raj.) Through Divisional Manager, (Insurer Vehicle Tankar No. RJ-02-GB-4165, Attached Insurance Policy)

----Respondents-Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Pratap Singh Arya, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**Judgment****07/05/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय **मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या-569/2021 श्रीमती सपना देवी व अन्य बनाम महेंद्र व अन्य** में पारित निर्णय दिनांक **09.04.2025** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष **नीरज कुमार** की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 80,40,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए अपीलार्थीगण को **कुल 14,79,316/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय **ब्याज 6 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय 6,552/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना मृतक सैटरिंग का कार्य करके 15-20 हजार रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 06.05.2021 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक नीरज कुमार को सैटरिंग का कार्य कर 15-20 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2020 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसे अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए $252 \times 26 = 6,552/-$ रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। जबकि घटना दिनांक 06.05.2021 की है तथा घटना के 2 माह पश्चात् ही राजस्थान राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई है। अतः यह न्यायालय घटना की तिथि 06.05.2021 के 2 माह पश्चात् वृद्धि की गई न्यूनतम मजदूरी दर को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक की दैनिक आय 259/- रुपये, तदनुसार मासिक आय $259 \times 30 = 7,770/-$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 7,770/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत (3,108/- रुपये)** की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध मासिक आय **10,878/- रुपये** निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति गणना का आधार रहेगी।
7. वक्त घटना मृतक के ऊपर 5 आश्रित बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 10,878/- रुपये का $1/4$ भाग 2,719/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 8,159/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 26 से 30 वर्ष

के मध्य होना जाहिर है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 8,159/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $8,159 \times 12 \times 17 = 16,64,436/—$ रुपये होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अपीलार्थीगण को कुल 40,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि प्रणय सेठी (उपरोक्त) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में कंसोर्टियम, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि की मद में 10 प्रतिशत राशि बढ़ाये जाने का आदेश दिया गया है, इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे।

10. हस्तगत मामले की घटना दिनांक 06.05.2021 की है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 44,000/— रुपये, मृतक की संतानें अपीलार्थी संख्या-2 व 3 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की

मद में 44,000 /— रुपये व मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-4 व 5 को “फिलीयल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 44,000 /— रुपये **(कुल 2,20,000 /— रुपये)** की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000 /— रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 16,500—16,500 /— रुपये **(कुल 33,000 /— रुपये)** की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	16,64,436 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में	2,20,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		19,17,436 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		14,79,316 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		4,38,120 /—

13. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **14,79,316 /— रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **19,17,436 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को भविष्य वृद्धि की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिलवाया गया है। अतः अपीलार्थीगण इस न्यायालय द्वारा भविष्य

वृद्धि की राशि पर तथा निर्धारित संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

KESHAV VERMA /86-S